A-7/1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 96 / 2020
रामकरण पुत्र श्री सुरजाराम उम्र 76 वर्ष जाति जाट निवासी बुडानिया तहसील चिड़ावा जिला झुझुनू (राज.)

–– अपीलान्ट

बनाम

1. छैलूराम पुत्र श्री आशाराम जाति मीणा निवासी बुड़ानिया तहसील चिड़ावा जिला झुझुनूं।
2. जगदीश पुत्र श्री आशाराम जाति मीणा निवासी बुड़ानिया तहसील चिड़ावा जिला झुझुनूं।
3. फुलचन्द पुत्र श्री आशाराम जाति मीणा निवासी बुड़ानिया तहसील चिड़ावा जिला झुझुनूं।
4. भानीराम पुत्र श्री आशाराम जाति मीणा निवासी बुड़ानिया तहसील चिड़ावा जिला झुझुनूं।
5. भींवाराम पुत्र श्री आशाराम जाति मीणा निवासी बुड़ानिया तहसील चिड़ावा जिला झुझुनूं।
6. रघुवीर पुत्र श्री आशाराम जाति मीणा निवासी बुड़ानिया तहसील चिड़ावा जिला झुझुनूं।
7. सन्त कुमार पुत्र श्री मोटाराम जाति मीणा निवासी बुड़ानिया तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं।
8. गुलचन्द पुत्र श्री मोटाराम जाति मीणा निवासी बुड़ानिया तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं।
9. रामनिवास पुत्र श्री मोटाराम जाति मीणा निवासी बुड़ानिया तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं।
10. मीरा पुत्री मोटाराम जाति निवासी बुड़ानिया तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं।
11. धापादेवी पत्नि मोटाराम जाति निवासी बुड़ानिया तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं।
12. सन्तरा पुत्री आशाराम जाति मीणा निवासी बुड़ानिया तहसील चिड़ावा जिला झुझुनूं।
13. सन्तोष पुत्री आशाराम जाति मीणा निवासी बुड़ानिया तहसील चिड़ावा जिला झुझुनूं।
14. प्रबन्धक, बड़ौदा क्षेत्रिय ग्रामीण बैक शाखा बुड़ानिया तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं।

–– रेस्पोडेन्ट

––

प्रथम अपील अ0 धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 अपील खिलाफ निर्णय तहसीलदार चिड़ावा मु0 उनवानी छैलूराम वगैराह बनाम रामकरण वगैराह मु0 नं0 1/2020 अ0 धारा 183 ख राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 बेदखली निर्णय दिनांक 06.01.2020

––

उपस्थित :–

1. श्री राजेश पूनिया, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से
2. शंकरलाल मीणा, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 1, 2 व 7 की ओर से

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

A-4/2

आदेश

दिनांक 08.02.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार चिडावा के आदेश दिनांक 06.01.2020 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. व स्थगन के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। संक्षेप मे अपील इस प्रकार है कि सरहद ग्राम बुडानिया में स्थित कृषि ख0 नं0 1010/719 रकबा 0.6700 है0 इस कृषि भूमि बाबत रेस्पोन्डेन्ट सं0 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अ0 धारा 183 ख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय तहसीलदार, चिड़ावा के यहां प्रस्तुत किया गया था जिसका उनवान छैलूराम वगैरह बनाम रामकरण वगैरह मु0 नं0 1/2019 है। उक्त उनवानी प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.01.2020 को आदेश पारित किया। अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 183 ख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू नही होते है क्योंकि अपीलान्ट को जिस कृषि भूमि में अतिक्रमी बनाया गया है, वह कृषि भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण की सह खातेदारी की कृषि भूमि है। विवादित कृषि भूमि शुरू से ही राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्टगण की सह खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण मुताबिक राजस्व रिकार्ड के अपनी – अपनी कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है। विवादित कृषि भूमि पर पहले अपीलान्ट का पिता कब्जा काश्त था। बाद में अपीलान्ट को उक्त कृषि भूमि उत्तराधिकार में मिलने के रोज से अपनी कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार से उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज है। सह खातेदारी की कृषि भूमि पर धारा 183 ख के तहत कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार अदालत मातहत को नही है। उक्त कृषि भूमि के हाल ख0 न0 100 रकबा 3.52 है0 ख0 न0 717 रकबा 0.80 है0 ख0 न0 719 रकबा 2.60 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.92 है0 सरहद ग्राम बुडानिया तहसील चिडावा में स्थित है। मौजूदा प्रकरण में कब्जे व जमीन किस्म का विवाद एक सारभूत विवाद है। कानून में जहां कब्जे व जमीन किस्म का विवाद एक सारभूत विवाद हो, वहां धारा 183 ख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक समरी कार्यवाही कर प्रभावित व्यक्ति को बेदखल नही किया जा सकता। उपरोक्त प्रकार से कब्जे व किस्म कृषि भूमि के सारभूत विवाद में रेगूलर कार्यवाही का वाद शपथपूर्वक एक सदभावी रूप से कब्जा काश्त व्यक्ति को बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय जेर बहस कानून के विधिक प्रावधानो के खिलाफ होने से खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने निर्णय जेर बहस पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नही की, अदालत मातहत ने अपीलान्ट को जवाब साक्ष्य व दस्तावेज सबूत पेश करने हेतु समुचित अवसर नही दिया। निर्णय जेर बहस अपूर्णीय व अस्पष्ट है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का की रिपोर्ट माननीय राजनैतिक से प्रभावित रही है। विवादित कृषि भूमि बाबत रामकरण द्वारा प्रस्तुत जवाब दाद पत्र माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा में पेश किया गया था। उनवानी प्रकरण रामकरण बनाम मांगेराम मु0 नं0 227/09 दिनांक 15.11.2010 को निर्णित किया जाकर वादपत्र डिक्री किया जा चुका है। इस प्रकार अपीलान्ट हाल ख0 नं0 100 रकबा 3.52 ख0 नं0 717 रकबा 0.80 है0 ख0 नं0 719 रकबा 2.60 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.92 है0 पर अतिक्रमी है, इस बाबत निर्णय जैर बहस में कोई विस्तृत स्पष्ट नही किया है।

A-4/3

अदालत उपखण्ड मजिस्ट्रेट चिडावा के निर्णय दिनांक 15.11.2010 की इजराय की कार्यवाही अपीलान्ट द्वारा उप खण्ड अधिकारी, चिडावा के यहां कर रखी है। इस बाबत उप खण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा निर्णय दिनांक 15.11.2010 की पालना बाबत तहसीलदार चिडावा को तहरीर जारी कर रखी है इसके बावजूद भी अदालत मातहत ने अनदेखी कर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.2020 खारिज किया जावे।

वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि यह कि अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 183 ख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू नही होते है क्योकि अपीलान्ट को जिस कृषि भूमि में अतिक्रमी बनाया गया है वह कृषि भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण की सह खातेदारी की कृषि भूमि है। विवादित कृषि भूमि शुरू से ही राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्टगण की सह खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण मुताबिक राजस्व रिकार्ड के अपनी – अपनी कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है। विवादित कृषि भूमि पर पहले अपीलान्ट के पिता का कब्जा काश्त था। बाद में अपीलान्ट को उक्त कृषि भूमि उत्तराधिकार में मिलने के रोज से अपनी कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार से उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज है। सह खातेदारी की कृषि भूमि पर धारा 183 ख के तहत कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार अदालत मातहत को नही है। उक्त कृषि भूमि के हाल ,ख0 नं0 100 रकबा 3.52 है0 ख0 नं0 717 रकबा 0.80 है0 ख0 नं0 719 रकबा 2.60 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.92 है0 सरहद ग्राम बुडानिया तहसील चिडावा में स्थित है। अदालत मातहत ने निर्णय जेर बहस पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नही की, अदालत मातहत ने अपीलान्ट को जबाब साक्ष्य व दस्तावेज सबूत पेश करने हेतु समुचित अवसर नही दिया। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का की रिपोर्ट स्थानीय राजनैतिक से प्रभावित रही है। विवादित कृषि भूमि बाबत रामकरण द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद पत्र माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा में पेश किया गया था। उनवानी प्रकरण रामकरण बनाम मांगेराम मु0 नं0 227/09 दिनांक 15.11.2010 को निर्णत किया जाकर वादपत्र डिक्री किया जा चुका है। इस प्रकार अपीलान्ट हाल ख0 नं0 100 रकबा 3.52 ख0 नं0 717 रकबा 0.80 है0 ख0 नं0 719 रकबा 2.60 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.92 है0 पर अतिक्रमी है, इस बाबत निर्णय जेर बहस में कोई विस्तृत स्पष्ट नही किया है। अदालत उपखण्ड मजिस्ट्रेट चिडावा के निर्णय दिनांक 15.11.2010 की इजराय की कार्यवाही अपीलान्ट द्वारा उप खण्ड अधिकारी, चिडावा के यहां कर रखी है। इस बाबत उप खण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा निर्णय दिनांक 15.11.2010 की पालना बाबत तहसीलदार चिडावा को तहरीर जारी कर रखी है के बावजूद भी अदालत मातहत ने अनदेखी कर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 06.01.2020 खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1, 2 व 7 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत् है। विवादित भूमि अनुसूचित जाति

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

A-4/4

की भूमि है जिस पर अपीलान्ट को कब्जा करने का कोई हक नही है क्योंकि अपीलान्ट स्वर्ण जाति का व्यक्ति है। उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2010 एक वैधीय निर्णय है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में पूर्ण जांच कर आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा का निर्णय दिनांक 06.01.2020 यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से निम्न तथ्य उजागर हुये है यथा :–

1. प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की भूमि पर अतिक्रमी मानकर बेदखली के आदेश पारित किये है। अपीलान्ट का तर्क यह है कि विवादित आराजी भूमि खसरा नम्बर 100, 717, 719 कुल किता 3 कुल रकबा 6.92 हैक्टर अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट की सहखातेदारी की भूमि है तथा अपीलान्ट ने अपना हिस्सा अलग करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के यहां वाद दायर कर दिनांक 15.11.2010 को आदेश भी पारित करवा रखा है। उक्त आदेश के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने अपीलान्ट को उक्त विवादित आराजी में से उसके कब्जे की भूमि का खातेदार घोषित कर बंटवारा का आदेश दिया था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह साफ है कि उक्त आदेश दिनांक 15.11.2010 वर्तमान में विद्यमान है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से यह तथ्य साफ नहीं होता की रेस्पोडेन्टस द्वारा उक्त आदेश की अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की है या नहीं है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.08.2019 में उक्त आदेश का हवाला दिया है, जिस पर अदालत मातहत ने गौर नहीं किया।
2. वर्तमान में उक्त विवादित आराजी भूमि खसरा नम्बर 100, 717, 719 अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्टस की सहखातेदारी में दर्ज है। जब तक सहखोतदारी की भूमि का विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी एक खातेदार को भूमि से बेदखल करना न्यायोचित नहीं है और न ही सहखातेदारी की भूमि पर धारा 183 ख के प्रावधान लागु होते है। अदालत मातहत को उक्त बिन्दुओ पर भी मनन करना चाहिए था। उक्त समस्त तथ्यों के मध्य नजर हम अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2020 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के आदेश दिनांक 15.11.2010 को ध्यान में रखतें हुये एवं पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं
08/02/21